फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

अंजनी कुमार गोपीलाल व्यास नि. पीपलुन्द

बनाम

राधा पत्नि सुवा कंजर नि. पीपलुन्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 591/2023

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
6-.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2525/3 कुल किता 1 रकबा 0.5747 हैक्टेयर तथा आ. न. 2525/4 कुल किता 1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2525/3 कुल किता 1 रकबा 0. 5747 हैक्टेयर तथा आ. न. 2525/4 कुल किता 1 रकबा 0. 0971 हैक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 7-6-.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर (भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

मांक / रीडर / 2023 / 591 / 2023 दिनांक :– 7-6-2023

मित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 591 / 23 अनवान अंजनी कुमार पिता गोपीलाल व्यास नि. पीपलुन्द बनाम राधा पत्नि सुवा कंजर, जगदीश पिता उगमा रेगर, प्रभुलाल पिता उगमा रेगर, चन्दा पत्नि मांगीलाल कंजर, नन्दकंवर पत्नि डुंगर सिंह राजपूत नि. पीपलुन्द वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द** **तील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2525/3 कुल किता 1 रकबा 0.5747 हैक्टेयर तथा** **न. 2525/4 कुल किता 1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में रगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्दं को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। श्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये कोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)